न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्याः— 45/2022
दायर दिनांकः— 20.05.2022
निर्णय दिनांकः— 07.06.2022

उनवान

1. श्रीमती तुलछी देवी पत्नी श्री भगवान लाल बैरवा नि. बडी, त. भूपालसागर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवान लाल पिता प्यारा गाडरी नि. बडी।
2. श्री बदरू पिता देवजी बैरवा नि. बडी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार—बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्र्तगत धारा—128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **बडी** पटवार हल्का **फलासिया** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 697 रकबा 044 है** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **07.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.08 17:33:20 IST
Reason: SelfAttested